भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 678

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

'स्मार्ट' पुलिस थानों की रूपरेखा

678. श्री एस० थंगावेलु:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए 'स्मार्ट' पुलिस थाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक 'स्मार्ट' थाने पर उसकी अवस्थिति के अनुसार 4.2 करोड़ रु. से 7.0 करोड़ रुपये लागत आएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि देश भर में ऐसे 'स्मार्ट' पुलिस थानों पर आने वाला पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) ने इस उद्देश्य के लिए एक संकल्पना पत्र तैयार किया है।

(ख) और (ग): उपर्युक्त संकल्पना पत्र के अनुसार, महानगर के लिए स्मार्ट/मॉडर्न पुलिस स्टेशन की अनुमानित लागत 7.30 करोड़ रु., शहर के लिए 6.74 करोड़ रु., अर्ध-शहरी क्षेत्र के लिए 4.56 करोड़ रु. और ग्रामीण क्षेत्र के लए 4.02 करोड़ रु. है।

(घ): वर्ष 2015-16 में पुलिस बल आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के योजनागत घटक के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तपोषण को बंद कर दिया गया है।

*****